झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 4100 वर्ष 2020

पंचदेव सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, स्वर्गीय साधु सिंह के पुत्र, जय प्रकाश नगर, गली नंबर 4, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के माध्यम से, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद
2. सचिव, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद
3. लेखा अधिकारी, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: सुश्री सपना कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए: श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता

2 / 20.01.2021 सुश्री सपना कुमारी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री संतोष कुमार झा, श्री महावीर प्रसाद सिन्हा के विद्वान ए0सी0, प्रतिवादी–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

इस रिट याचिका को विभिन्न शीर्ष के तहत याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के लिए अर्थात कार्यालय आदेश संख्या 207 दिनांक 24.7.2008 के अनुसार वेतन का बकाया, भविष्य निधि, जमा नहीं किये गये भविष्य निधि की राशि पर ब्याज, मंहगाई भत्ते का बकाया, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ समूह बीमा, अप्रयुक्त अर्जित अवकाश की राशि, ग्रेच्युटी, 5वें वेतन संशोधन के कारण 01.01.1996 से संशोधित वेतन की अंतर राशि, 6ठे वेतन संशोधन के कारण 01.01.2006 से संशोधित वेतन की अंतर राशि, 7वें वेतन संशोधन के कारण 01.01.2016 से संशोधित वेतन की अंतर राशि, मूल वेतन में डी0ए0 के 50 प्रतिशत के विलय के कारण अन्तर राशि, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ, क्षेत्रीय भत्ता का बकाया, अंतरिम सहायता का बकाया, पोशाक भत्ता का बकाया और वेतन में गतिरोध के कारण वेतन वृद्धि की राशि, वैधानिक, प्रतिपूरक और दंडात्मक और उपरोक्त राशि पर ब्याज हेतु दायर किया गया है।

सुश्री सपना कुमारी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सेवानिवृत्त बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। वह कहती है कि इसके लिए याचिकाकर्ता ने पहले ही अभ्यावेदन दायर कर दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री झा, प्रतिवादी–जे0एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है िकवह आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन के साथ उन सभी साख, जिस पर याचिकाकर्ता इस तरह के दावे के लिए भरोसा कर रहा है, दायर करे। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी–जे0एम0ए0डी0ए0 के नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और योजना के अनुसार निर्णय लेगा और उसके बाद 12 सप्ताह के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

यह नहीं कहना होगा कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसी का लाभ उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाएगा।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)